संख्याः 1678/9—आ—3—97—50 एल0ए0/1997

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
आवास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,,
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकस प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—3 लखनऊः दिनांक 20 अक्टूबर, 1997

विषयः भवन मानचित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्राधिकरणों में स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किये गये भवन मानचित्र इस कारण से स्वीकृत नहीं किये जा रहे है कि प्राधिकरणों की आवासीय/व्यवसायिक योजना हेतु उक्त भूमि उनके भू—अधिग्रहण प्रस्ताव में सम्मिलित हैं। प्राधिकरणों की योजनाओं के लिए भू—अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार किये जाते है परन्तु कतिपय कारणों से लम्बे समय तक इन प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है तथा धारा—4 की अधिसूचना भी लम्बे समय तक जारी नहीं हो पाती हे। इस बीच ऐसे क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले भवन मानचित्रों को इस आधार पर अस्वीकृत किया जाता है कि यह भूमि भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों द्वारा किसी भूमि के भू—अर्जन प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिये जाने की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर यदि भू—अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा—4 के अन्तर्गत अधिसूचना न जारी की गयी हो तो उस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले मानचित्रों पर इस आधार पर आपत्ति न की जाय की यह भूमि भू—अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित है तथा ऐसे मानचित्रों पर नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाय। उक्त आदेशों का अनुपालन कृपया सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

पृष्ठ संख्याः 1678(1)/9—आ—3—97—50एल0ए0/97,तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. आवास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग/अधिकारी।
2. आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

पी0एन0 सिंह
अनुसचिव